* जगदीश VS लक्ष्मण *

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (खैरथल-ति

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
5-12-24	उभय पक्षकारान के अभि० उप० बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22-6-2022 को तादफैसला दावा स्थाई करने का निवेदन किया। अप्रार्थी / प्रतिवादी वकील ने जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22-6-2022 खारिज की जावे।

दौराने बहस अप्रार्थी / प्रति० द्वारा खातेदारी अधिकारो का हनन होने, रहन बय संबंधी अधिकारो का हनन होने [illegible] नही लिये जा सकने, मुआवजा नही लिये जा सकने के कारण से असुविधा होने तथा अपूरणीय क्षतिकारित होने का कथन किया। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया न ही कोई कथन किया जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थीगण इसके सहखातेदारो के अधिकारो का किसी प्रकार हनन कर सकते है या उसके हिस्से को रहनबय या खुर्द-बुर्द कर रहे हो। प्रार्थीगण प्रकरण को प्रथम दृष्टया ~~प्रकरण~~ मामला अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो ही सहखातेदार है तथा सहखातेदारो के खातेदारी अधिकारो का प्रयोग करने से रोकना न्याय की दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रभाव से खातेदारी अधिकारो के उपयोग मे उपभोग उत्पन्न होने के कारण फिलहाल अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीको कारित हो रही है। अत: इस स्तर पर सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पत्रावली के अवलोकन एवं बहस से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही हो सका तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के विरुद्ध साबित है। अत: पूर्व मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22-6-22 को निरस्त / खारिज किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है अत: आदेश है कि :-

अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. के सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है। तथा बाबत आराजी खसरा नं. 192 रकबा 0.0300 हे०, 195 रकबा 0.0800 हे०, 196 रकबा 0.8500 हे०, 197 रकबा 0.5700 हे०, 198 रकबा

ालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

* जगदीश VS लक्ष्मण *

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
	0.1000 हे०, 199 रकबा 0.3800 हे० किता – 6 रकबा 2.0600 हे० 184 रकबा 0.2800 हे०। खातास० 134, 135 वाके ग्राम जगता बसई तहसील किशनगढ़-बास पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22-6-2022 अपास्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल लेटल भण्डार हो। सलग्न मुसलवाद रहे। सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)